

नियम और शर्तें

1. छात्रवृत्ति केवल ई - जोन पब्लिक स्कूल इंद्रा कॉलोनी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही दी जाएगी तथा छात्रवृत्ति ट्यूशन फीस के माध्यम से दी जायेगी ।
2. टॉप आने वाले 20 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा ।
3. विद्यार्थी के छात्रवृत्ति के अलावा जो भी ट्यूशन फीस बचती हैं वह उसे 31 दिसंबर तक जमा करवाना अनिवार्य हैं । अन्यथा उसकी अगले वर्ष की छात्रवृत्ति संस्था द्वारा समाप्त कर दी जाएगी ।